## न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी :डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 64/2015 जीसीएमएस नं. 2015/00411

**<u>अपीलान्ट</u>** बनाम **<u>रेस्पोडेन्टस</u>**

1. अमृतलाल पुत्र स्व. मांगीलाल
2. इन्दूबाला पुत्री स्व0 मांगीलाल
3. श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री स्व0 मांगीलाल पत्नी विजेन्द्रसिंह के कायम मुकामः——
   1. विनायक पुत्र भंवरीदेवी
   2. आशीष पुत्र भंवरीदेवी
   3. विजेन्द्र पुत्र भंवरीदेवी

   निवासी—नागौरी बेरा, मण्डोर, जोधपुर
4. श्रीमती विजयलक्ष्मी पुत्री स्व0 मांगीलाल पत्नि मांगीलाल टाक, निवासी—पशु चिकित्सालय के पास, सोजत सिटी पाली।
5. श्रीमती बसन्ती पुत्री स्व0 मांगी लाल पत्नी लालसिंह निवासी—नयापुरा, चौखा जोधपुर

बनाम

1. दुर्गाराम पुत्र स्व0 लादूराम गहलोत
2. किशन पुत्र अचलूराम
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 अचलूराम निवासी— ओरियाला बेरा, नारायण सागर, मण्डोर, जोधपुर।
4. श्रीमती दमू पुत्री स्व. अचलूराम पत्नी बाबूलाल निवासी— हरिसागर बेरा, मथानिया, तहसील तिवरी।
5. श्रीमती भगवती पुत्री स्व0 अचलूराम पत्नि बिंजाराम निवासी— जयनारायण की चक्की, ग्राम मथानिया, तहसील तिंवरी
6. श्रीमती कलियादेवी पुत्री स्व0 लादूराम पत्नी मुकुन माली निवासी— पूंजला स्कूल के पास भाटियों का हत्था, चैनपुरा मण्डोर, जोधपुर।
7. श्रीमती सिरीयादेवी पुत्र स्व0 लादूराम पत्नी मंगलाराम निवासी— नानकवाला बेरा, बडली नेड, जोधपुर।
8. श्रीमती चम्पा पुत्री स्व0 मोहनलाल पत्नी छंवरलाल निवासी— खोखरिया बेरा की पाल, मण्डोर, जोधपुर।
9. श्रीमती केशर पुत्री स्व0 मोहनलाल पत्नी धर्मसिंह निवासी—महादेव बेरा, मथानिया, तिंवरी, जोधपुर।
10. स्व. थानसिंह पुत्र स्व0 मोहनलाल के कायम मुकामः——
    1. श्रीमती निर्मला पत्नी
    2. भगतसिंह पुत्र
    3. प्रदीप पुत्र

4. शोभा पुत्री स्व0 थानसिंह निवासी– आमली बेरा, मण्डोर,
5. श्रीमती सरोज पुत्री स्व0 थानसिंह पत्नी गणपतसिंह निवासी– गणपति किराणा एण्ड प्रोविजन स्टोर, हनुमान जी के मंदिर के पास, रामसागर, चौराहा, मगरा पूंजला, जोधपुर
6. श्रीमती किरण पुत्र स्व0 थानसिंह पत्नी प्रदीप निवासी– चुतरावता बेरा, चैनपुरा मण्डोर

11. कैलाश पुत्र स्व. मोहनलाल
12. किशन पुत्र स्व0 मोहनलाल निवासी फतेहबाग, मण्डोर, जोधपुर
13. जयसिंह पुत्र स्व0 मोहनलाल निवासी– आमली बेरा, मण्डोर, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.06.2015 जो जिला कलक्टर जोधपुर ने राजस्व अपील संख्या 30/2013 अनवान अमृतलाल वगैरा बनाम दुर्गाराम वगैराह में पारित किया

**उपस्थितिः——**

1. श्री सुगनमल एवं श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेन्द्रसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 की ओर से उपस्थित।
   श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पो0 सं 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री महेन्द्र टाक, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7 की ओर से उपस्थित।
4. शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

## निर्णय

**दिनांक 19.08.2021**

1. अपीलान्टस की ओर से यह द्वितीय राजस्व अपील विद्वान जिला कलक्टर जोधपुर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 30/2013 अनवान अमृतलाल वगैरा बनाम दुर्गाराम वगैराह में दिनांक 11.06.2015 को पारित किये गये अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है। प्रस्तुत अपील

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्या इस प्रकार से है कि ग्राम मण्डोर तहसील जोधपुर के ख0सं 97 97/1, 98, 98/1, 99, 99/1, 92/2, 100, 101, 1901/100/2, 1901/100/3, 1904/100/4, 91/1, 91/2, 91/3 व 91/6 कुल खसरा 17 रकबा 53 बीघा 7 बिस्वा भूमि व खसरा संख्या 89 रकबा 192 बीघा, ख0सं. 91/7 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, 1901/100 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, 76 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, ख0सं0 342 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा, ख0सं0 305 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा की भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपीलार्थीगण के नाना व रेस्पोडेन्टस के पूर्वज पुरूष स्व0 लादूराम की संयुक्त खातेदारी की व कब्जाकाश्त की आई थी। खातेदार लादूराम के देहान्त होने के पश्चात रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 के पिता स्व0 अचलूराम ने तत्समय में शेष वारिसान का नाम छिपाते हुए मात्र उनके पुत्रों के नाम अंकित करवाते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 576 व 577 ग्राम मण्डोर दिनांक 21.06.1987 को स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरणों के विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा प्रथम राजस्व अपील जिला कलेक्टर न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा दिनांक 11.6.2015 को उक्त प्रथम अपील को विलम्ब अवधि से प्रस्तुत होने से निरस्त कर दिया। विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 07.07.2015 को प्रस्तुत की है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिभाषकों की बहस सुनी।

3. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि प्रथम अपील न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील महज क्यासी दलीलों पर खारिज करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। क्योंकि प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष निर्वसीयत विरासत का सीधा साधा मामला था। इस मामलें में कोई विवाद नहीं था। अपीलार्थीगण स्व. लादूराम के वारिसान है तो इन परिस्थितियों में किसी वाद की कार्यवाही के जरिये घोषणा करवाने की आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं रेस्पोडेन्टस ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अपीलार्थीगण मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसान है।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि रेस्पोडेन्टस ने भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सहमति जाहिर की थी कि राजस्व रेकर्ड में बतौर मृतक लादूराम के वारिसान के अपीलार्थीगण का नाम दर्ज करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो अपील खारिज करने का अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आधार नहीं था।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि उत्तधिकार सम्बन्धी नामान्तरकरणों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों में मियाद का बिन्दू बाधक नहीं माना जा सकता क्योंकि जो अधिकार उत्तराधिकार कानून के तहत किसी पक्ष को अर्जित हो गये है तो नामान्तरकरण की कार्यवाही से उन अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने मियाद बिन्दू को निर्णित करने

से पूर्व अपील मामले के गुणावगुण पर कोई विचार ही नहीं किया। इस अपील मामले में स्पष्ट था कि नामान्तरकरण जैर अपील उत्तराधिकार कानून को पूर्ण रूप से नजरअंदाज करते हुए स्वीकार किया गया था जो ऐसे मामलों में मियाद के बिन्दू को गौण मानते हुए गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिये था।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया था जिसका कोई खण्डन रेस्पोडेन्टगण द्वारा नहीं किया गया था। ऐसे में इन परिस्थितियों में अपीलार्थी के अखण्डित कथनों को नहीं मानने का अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई कारण विघ्यमान नहीं था। अपीलार्थीगण को जो अधिकार विरासत के कानून के तहत अपीलार्थीगण को अर्जित हो चुके है उन अधिकारों का नामान्तरकरण की कार्यवाही के जरिये समाप्त नहीं किया जा सकता है।

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस मामले में पक्षकार के साथ न्याय करने के लिहाज से विचार ही नहीं किया एवं पक्षकार को अनावश्यक वाद की लम्बी प्रक्रिया में धकेलने का निर्देश दे दिया जबकि पक्षकारान स्व0 लादूराम के वारिस होने बाबत कोई विवाद ही नहीं है तो वाद की प्रक्रिया अपनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि विरासत का बिन्दू विवादास्पद नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की उक्त अपील को स्वीकार किया जावे एवं प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2015 एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 576 व 577 स्वीकृत दिनांक 21.06.1987 को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थीगण का नाम भी रेस्पोडेन्टगण के साथ बतौर स्व0 श्री लादूराम के वारिसान के रूप में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

8. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1, 2, 3 व 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषकगण ने यह कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रथम राजस्व अपील में जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वो बहाल रखे जाने योग्य है क्योंकि अपीलान्टस के द्वारा अपनी प्रथम अपील में अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने के सम्बन्ध में कोई ठोस कारण नहीं दर्शाये गये थे और न ही उनकी पूर्वज यानि माता के द्वारा अपने जीवन काल में अपनी ओर से अपील पेश नहीं किये जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य पेश किये गये है। ऐसे में प्रथम अपील न्यायालय द्वारा उनकी अपील को खारिज करने का जो आदेश दिया है वह उचित है।

9. रेस्पोडेन्टस के योग्य अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि किसी भी आदेश/निर्णय को चुनौती दिये जाने हेतु विधि में एक म्याद निर्धारित की गई है और उसी म्याद अवधि में सक्षम न्यायालय के समक्ष उसके विरूद्ध चुनौती पेश की जा सकती है। अपीलान्टस की ओर से प्रथम अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर थी। अपीलाधीन नामान्तरकरणो के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील जो कि लगभग 28 वर्ष की लम्बी व्यतित होने के उपरान्त प्रस्तुत की गई जिसमें विलम्ब के

प्रत्येक दिवस का ठोस कारण दर्शाया जाना आवश्यक होता है जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई कारण उनकी ओर से अंकित नहीं किये है, अपीलान्टस को अपीलाधीन नामा0 में अंकित तथ्यों की सर्वप्रथम जानकारी होने की सत्यता के सम्बन्ध में माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में विस्तार से अंकित किया था तथा अपील को 28 वर्ष पश्चात पेश होने एवं अपील एक सरसरी कार्यवाही होने से पक्षकारान के स्वत्व तय नहीं किये जा सकने और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा म्याद अवधि को कन्डोन किये जाने सम्बन्धी बहुत सारे निर्णय पारित किये हुए है।

10. इसके अतिरिक्त अपीलान्टस के द्वारा इन अपील में मात्र यह अंकित कर दिया जाना कि वे स्व0 लादूराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान है और उनका भी वादग्रस्त भूमि में हक–हिस्सा निर्धारित होना चाहिये, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हो सकता है क्योंकि अपीलान्टगण मृतक खातेदार की तृतीय वंश की वंशावली में आते है जिन्हें जरिये इस अपील में किसी प्रकार के हक–अधिकार नहीं मिल सकते है।

11. रेस्पोडेन्टस के योग्य अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत की गई अपीले हम रेस्पो0 को परेशान करने की नियत से लगाई गई है क्योंकि वर्तमान समय में वादग्रस्त भूमि की कीमते बढ गई है और अपीलान्टस के मन में लालच आ गया है तथा अपीलान्टस के द्वारा अपने मामा इत्यादि ननिहाल पक्ष को तंग करने हेतु ये कार्यवाही की जा रही है। अतः अपीलान्टस की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जावे एवं अपीलाधीन नाामन्तरकरणों एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

12. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा अपील मीमों, अधिनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड इत्यादि का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्टस के द्वारा ग्राम मण्डोर तहसील जोधपुर के ख0सं 97 97/1, 98, 98/1, 99, 99/1, 92/2, 100, 101, 1901/100/2, 1901/100/3, 1904/100/4, 91/1, 91/2, 91/3 व 91/6 कुल खसरा 17 रकबा 53 बीघा 7 बिस्वा भूमि व खसरा संख्या 89 रकबा 192 बीघा, ख0सं. 91/7 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, 1901/100 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, 76 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, ख0सं0 342 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा, ख0सं0 305 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा की भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपीलार्थीगण के नाना व रेस्पोडेन्टस के पूर्वज पुरूष स्व0 लादूराम की संयुक्त खातेदारी की व कब्जाकाश्त की आई हुई होने तत्पश्चात खातेदार श्री लादूराम के देहान्त होने के पश्चात रेस्पो0 संख्या 2 ता 5 के पिता यानि स्व0 अचलूराम एवं दुर्गाराम ने स्व0 लादूराम के शेष वारिसान यानि उनकी जायन्दा पुत्रियों का नाम छिपाते हुए केवल पुत्रों दुर्गाराम एवं अचलूराम का नाम अंकित करवाते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 576 व 577 ग्राम मण्डोर दिनांक 21.06.1987 को स्वीकृत किया जाना पाया गया है।

13. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खातेदार की पैतृक सम्पति में उनके वारिसान के हक–हिस्सा/अधिकार नियत किये हुए है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देशों के साथ व्यापक निर्देश प्रसारित किये गये है। अपीलार्थीगण जो कि पूर्व खातेदार स्व0 लादूराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण है जिनका जन्म से ही अपने पूर्वज व्यक्ति की खातेदारी भूमि में हक–अधिकार तय हो जाते है। इसके अतिरिक्त पूर्व खातेदार लादूराम के देहान्त उपरान्त उनके दो पुत्रों दुर्गाराम एवं अचलूराम के अतिरिक्त उनकी 04 जायन्दा पुत्रियां होना भी रेकर्ड से स्वतः प्रतीत होता है। तहसीलदार (नामान्तरकरण स्वीकृति अधिकारी) को फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किये जाने से पूर्व मृतक खातेदार के समस्त उत्तराधिकारियों की जॉच करनी चाहिये थी तत्पश्चात ही अपीलाधीन नामा0 दर्ज करने की कार्यवाही करते।

14. इसके अतिरिक्त विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को भी हमारी विनम्र राय में विधि अनुकूल पारित किया हुआ नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उनके द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुई प्रथम अपील को गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया जाकर म्याद बिन्दू के आधार पर निणित किया गया है और अपीलान्टगण जो कि मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसान है, को अपने हक–हकूकों के निर्धारण हेतु नियमित वाद दायर करने के निर्देश दिये गये है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता हैं। अपीलान्टगण जन्म से ही वादग्रस्त भूमि में अपनी माता के हक–हिस्से में आने वाली सम्पति में अपना हक–अधिकार रखते है।

15. तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय मृतक खातेदार के वारिसान की किसी प्रकार से जॉच नहीं करने और उनके अन्य वारिसान को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही मृतक लादूराम के पुत्रों को ही वारिसान मान नामा0 स्वीकृत किये गये है, ऐसे त्रृटिपूर्ण नामान्तरकरण आदेशों को जो कि प्रारम्भ से ही विधि विपरित स्वीकृत किये गये है एवं शून्यता की श्रेणी में आते है जिसके लिये उन्हें चुनौती दिये हेतु किसी प्रकार की म्याद सम्बन्धी बाध्यता निर्धारित नहीं की जा सकती है। ऐसे आदेशों की प्रथम जानकारी होने की समय–सीमा से ही उनको दी चुनौती/अपील हेतु म्याद अवधि का निर्धारण किया जाना चाहिये।

16. इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों पर गहनता एवं विधि की दृष्टि से मनन करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है जिसे निरस्त करते हुए हिन्दू उत्त्राधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार तथा पैतृक सम्पति में हक–हिस्से निर्धारित किये जाने सम्बन्धी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रकरण पुनः सुनवाई एवं नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

17. अतः उपरोक्त विवेचन एव विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2015 एवं अपीलाधीन नामा0 संख्या 576 व 577 दिनांक 21.06.1987 को निरस्त किये जाते है एवं प्रकरण जिला कलेक्टर, जोधपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त समस्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए स्व. लादूराम के सभी विधिक वारिसान को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने को समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से यथोचित निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 19.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

**(डॉ. राजेश शर्मा)**
**डिवीजनल कमिश्नर,**
**जोधपुर**